भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2011
12.02.2021 को उत्तर के लिए

वृक्षों की देसी प्रजातियों का वृक्षारोपण

2011. श्री राजकुमार चाहर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देसी वृक्षों और झाड़ियों की प्रजातियों की कोई क्षेत्र-वार पहचान की गई है ताकि विशिष्ट क्षेत्र में उक्त प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने वृक्षों की देसी प्रजातियों के वृक्षारोपण के लाभों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) वृक्षों की देसी प्रजातियों को लोकप्रिय बनाने और ताज ट्रेपेजियम जोन सहित देश में उनके वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) जी, हां। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (बीएसआई), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के अधीन संगठन सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा देसी वृक्षों की क्षेत्र-वार पहचान की गई है। बीएसआई देसी प्रजातियों के पौधों को विकसित करता है और विभिन्न वन विभागों और आस-पास के ग्रामीण समुदायों को भी वितरित करता है। वृक्ष प्रजातियों की पहचान के अनेक अनुसंधान प्रकाशन भी उपलब्ध हैं जैसे कि ट्री ऑफ गुजरात (गीर), ट्री ऑफ इलाहाबाद (एनबीआरआई), ट्री ऑफ सिक्किम (बीएसआई), ट्री ऑफ दिल्ली, ट्री ऑफ सिमलीपाल (उड़ीसा वन विभाग)। इसके अलावा, प्राकृतिक क्षेत्र में वृक्षों की देसी प्रजातियों को विकसित करने तथा उगाने हेतु राज्य वन विभागों की विभिन्न कार्य योजनाओं के तहत भी प्रावधान है।

(ग) जी, हां। मंत्रालय ने वृक्षारोपण गतिविधियों के दौरान स्थानीय तथा देसी प्रजातियों के रोपण हेतु राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को परामर्शिकाएं जारी की है। इसके अलावा अवक्रमित वन भूमियों के वनीकरण

के लिए मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के अंतर्गत स्थानीय समुदायों द्वारा, उनकी आवश्यकताओं, पारिस्थितिकीय शर्तो और राज्य वन विभाग के परामर्श से अन्य स्थानीय घटकों के आधार पर उगाने वाली वृक्ष प्रजातियों का चयन किया जाता है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन भी कार्यान्वयन राज्यों द्वारा मिश्रित देसी प्रजातियों के वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान करता है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 में भी वनीकरण गतिविधियों में देसी प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्रावधान है।

(घ) उत्तर प्रदेश वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने भूमि ओर कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर स्थानीय वृक्ष की प्रजातियों के रोपण की परामर्शिका जारी की है। विभिन्न विभागों के बीच विभिन्न क्षेत्रों जिसमें ताज ट्रेपेजियम जोन भी शामिल है, (टीटीजेड) में पौध रोपण के लिए उपयुक्त स्थानीय वृक्ष प्रजातियों की एक सांकेतिक सूची भी जारी की गई है। यह भी सूचित किया जाता है कि ताज ट्रेपेजियम जोन, आगरा में विभागीय पौधरोपण प्रजातियों जैसे नीम, शीशम, खैर, शाहजन, सेमल, जामुन, पीपल, अशोक, अर्जुन, अम्लताश, गुडहल, शगुन आदि का पौधरोपण किया जा रहा है।

****